# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 228/2008

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. तेजा पुत्र पेमा
2. सोना पुत्र पेमा
3. मदन गोद पुत्र रतन

जातियान-रावत, निवासी-रावतों की ढाणी-रामपुरा, तह.-जैतारण जिला - पाली (राज.)

बनाम

1. भंवरु पुत्र जगमाल
2. शंकर पुत्र जगमाल

जातियान-रावत, निवासी-रावतों की ढाणी-रामपुरा, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15.10.2008

उपस्थितः- 1. वादी स्वयं उपस्थित।

## -:: निर्णय ::-

दिनाँकः- 16/04/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण दादा मूल पुरुष मोती की औलाद हैं। उनके वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरुष मोती के वारीसान जगमाल, प्रेमसिंह एवं रतन नाऔलाद गोद पुत्र मदनसिंह तथा प्रेमसिंह के पुत्रगण तेजा, सोना व मदन हुए व जगमाल के पुत्रान भंवरु व शंकर हुए। मोती की पैतृक खातेदारी भूमि रावतों की ढाणी में वाके सरहद मौजा-रामपुरा, पटवार हल्का-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बरान् 545, 443, 450, 452, 453, 456 एवं 451 कुल खसरा 7 कुल रकबा 99-01 बीघा किस्म चा0चा0 व गै0मु0बेरा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में मोती का तीसरा बंट था, उनके तीनो पुत्रों के उनका तीसरा हिस्सा हैं। उक्त भूमि में मोती का तीसरा हिस्सा था। मोती के तीन पुत्र होने से मोती के तीसरे बंट के तीन हिस्से हुए यानि वादी तेजा व सोना का 1/9 वां हिस्सा कुल जमीन में है। नकल खातेदारी साथ पेश की हैं, वक्त सैटलमेन्ट जगमाल घर का कर्ताधर्ता सबसे बड़ा था व उसी के कर्ता होने से व आपस में हिस्सा करसी बाबत् कोई तनाजा नही होने से व जगमाल कर्ता के ही नाम तीसरा हिस्सा उसके दर्ज कर दिया। परन्तु मोती के जीते-जी ही मोती के तीसरे बंट के तीन बंट कर लिये व मौके पर उसी अनुसार आज दिन बोते हैं। बीच में भाठे है व इस दावे के पूर्व कभी जगमाल का था उसके पुत्रों ने वादीगण होने से मदन पुत्र पेमा को गोद ले लिया व उसका दस्तावेज बना लियो, नकल उक्त दस्तावेज साथ पेश की हैं। दावे में वर्णित भूमि के अलावा और जमीन मोती की थी। उसमें तीनो पुत्रों (हिस्सेनुसार) के नाम दर्ज हैं। अब बढ़ती मंहगाई के कारण जमीने महंगी हो जाने से प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गयी हैं। चूंकि वादीगण लोन लेकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं। परन्तु रेकार्ड में उनका नाम न होने से उन्हें ऋण नही मिल सकता। इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण का हिस्सा रेवेन्यू रेकार्ड में कराने का कई मर्तबा कहा, तो टालमटोल करते रहे व कल अचानक वादीगण के नाम खातेदारी कराने से साफ ईन्कार कर दिया व धमकी दी कि वह वादीगण की जमीन में खड़ी फसल भी काटकर ले जावेंगे। उनकी ऐसी बदनियति को देखते हुए दावा करना आवश्यक हो गया। अगर वादीगण की फसल काट ली या भविष्य में उनके कब्जे काश्त में दखल व दस्तन्दाजी की तो वादीगण को अपूर्णीय हानि होगी। व विविध केसबाजी बढ़ेगी। अतः घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। अन्य हिस्सेदारान से तनाजा न होने से पार्टी नही बनाया है। विनावाद दिनांक 07.10.2008 को वादीगण के नाम खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रास्ते से मना करने पर कब्जे में दखलन्दाजी की धमकी दी। तब बमुकाम-रावतों की ढाणी रामपुरा पंचायत- भूम्बलिया में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार में हैं।

इस प्रकार वकील वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर वकील वादी का राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। जबाबदावा पेश करने हेतु वकील प्रतिवादीगण को दिनांक 09/02/2009 से लगातार अवसर दिये जाने पर भी विफल रहने से दिनांक 13/12/2012 को जवाबदावा बन्द किया गया। वकील वादीगण ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 तेजसिंह व पी0डब्ल्यू0-2 छोटूसिंह एवं पी0डब्ल्यू0-3 भीमसिंह के तरदीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 17/07/2014 को पेश किए, सा0मि0 किये गये। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत वादी दिनांक 07/04/2015 को बन्द की गई।

वकुलाय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील वादी का कथन है कि उक्त विवादित सम्पूर्ण भूमि में मोती का 1/3 हिस्सा हैं व रेकर्ड में भी है। मोती के देहान्त के बाद जगमाल के वारिसान रतन व प्रेमसिंह रह गए। जमाबंदी में Exp-1 हैं, जगमाल के लड़कों के नाम हो गई। पुश्तैनी दस्तावेजात भी पेश किये हैं। जगमाल पुत्र मोती 1/3 हिस्सा हैं। प्रेमसिंह के तीन पुत्र हैं। जिसमें रतन मदन के गोद गया हुआ हैं, गोदनामा Exp-3 हैं।

बहस वकील वादीगण पर मनन कर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूत के शपथ-पत्रों का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त वाद स्वीकार योग्य होने से वाद डिक्री किया जाना तथा पैतृक व पुश्तैनी आराजी की उक्त भूमि के प्रति0 के हिस्से में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रामपुरा, पटवार हल्का-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नंबरान 545, 443, 450, 452, 453, 456 एवं 451 कुल खसरा 7 कुल रकबा 99-01 बीघा किस्म चा0चा0 व गै0मु0बेरा के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में दर्ज जगमाल के पुत्रान प्रति0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीगण संख्या 1 व 2 तेजा, सोना पि0 पेमा को 1/9 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 मदन को 1/9 हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से गै0सा0 को स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/04/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

पेईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

| वादीगण :- | बनाम | प्रतिवादीगण :- |
|---|---|---|
| 1. तेजा पुत्र पेमा<br>2. सोना पुत्र पेमा<br>3. मदन गोदपुत्र रतन<br>जातियान-रावत, निवासी-रावतों की ढाणी-रामपुरा, तह.-जैतारण जिला - पाली (राज.) | | 1. भंवरू पुत्र जगमाल<br>2. शंकर पुत्र जगमाल<br>जातियान-रावत, निवासी-रावतों की ढाणी-रामपुरा, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.) |

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 228/2008

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ........-........ व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक्क वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वाक्व्द मौजा-रामपुरा, पटवार हल्का-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नंबरान 545, 443, 450, 452, 453, 456 एवं 451 कुल खसरा 7 कुल रकबा 99-01 बीघा किस्म चा0चा0 व गै0मु0बेरा के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में दर्ज जगमाल के पुत्रान प्रति0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीगण संख्या 1 व 2 तेजा, सोना पि0 पेमा को 1/9 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 मदन को 1/9 हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से गै0सा0 को स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहरे ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ......-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर आज तारीख 16/04/2018 को जारी किया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

| मुद्धई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 02-00 | स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02-00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 05-00 | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | - | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | 2-00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | मुतफरिक | |
| मिजानः- | 11-00 | मिजानः- | 01-00 |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा राह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner